न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 139/2025 निर्णय दिनांकः– 10-11-25
(जीसीएमएस संख्या 2025/264)

1. गुमानसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 18–12–2003
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री हरीकिशन उपाध्याय, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 18–12–2003 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट भूमिहीन व्यक्ति था व भूमिहीन आंवटन के तहत भूमि आंवटन की पात्रता रखता था।अपीलान्ट को दिनांक 27.11.2002 को आंवटन सलाहकार समिति द्वारा चक 31 सीडब्लयूबी के मु0न0 146/37 में 25 बीघा भूमि आंवटन की गई, इसके उपरान्त अपीलान्ट को 50 प्रतिशत से अधिक अनकमाण्ड भूमि आंवटित होने के कारण दिनांक 02.12.2003 को अपीलान्ट को अन्य भूमि आंवटन के लिए सक्षम घोषित कर दिया गया। अपीलान्ट को आंवटित भूमि चक 31 सीडब्लयूबी के मु०न० 146/37 की 25 बीघा भूमि के तबादले में दिनांक 30.01.2003 को आंवटन सलाहकार समिति की बैठक में आंवटन अधिकारी एंव सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत द्वारा चक 4 एमडीएम के मु०न० 143/53 के कि0न0 15 ता 18, 22ता 25 में 8 बीघा कमाण्ड एंव मु०न० 143/54 के कि0न0 2 ता 8 में 7 बीघा कमाण्ड भूमि आंवटित कर दी गई। दिनांक 18.12.2003 को अपीलान्ट को चक 4 एमडीएम के मु0न0 143/53 के कि0न0 15ता 18, 22ता25 में 8 बीघा कमाण्ड एंव मु0न0 143/54 के कि0न0 2ता8 में 7 बीघा कमाण्ड आंवटित भूमि सबूतो के अभाव में एंव अपीलान्ट को अनुपस्थित बताते हुए खारिज कर दी गई। अपीलान्ट को अपने उक्त आंवटन की जानकारी नहीं मिली और अपीलान्ट को अपने आंवटन संबधी नोटिस प्राप्त नहीं हुए इसलिए बिना नोटिस की प्रोपर तामील के अपीलान्ट को किया गया आंवटन निरस्त किया गया है इसलिए आदेश जैर अपील निरस्त योग्य है। अपीलान्ट को आंवटित भूमि अन्य को आंवटन हो चूकी है इसलिए अपीलान्ट अपनी पात्रता की सीमा तक अन्यत्र भूमि आंवटन करवाने का हकदार है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

उन्होंने मियाद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

प्रकरण में जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर किया गया था जिस पर आवंटन अधिकारी द्वारा तमाम सबूतो की जॉच करते हुए प्रार्थी/अपीलांट के आवेदन पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलांट को चक 3 सीडब्ल्युबी के मुरब्बा नम्बर 146/37 की 23 बीघा कमाण्ड भूमि जरिये लॉटरी आवंटित की गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उक्त आवंटन के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 2–12–2003 के द्वारा उक्त आवंटित भूमि राज्य सरकार के आदेशानुसार सामान्य आवंटन में 50 प्रतिशत से अधिक अनकमाण्ड आवंटित भूमियों के बदले कमाण्ड भूमि विनिमय में आवंटन हेतु आरक्षित होने के कारण प्रार्थी/अपीलांट को आवंटित भूमि दिनांक 27–11–02 का आवंटन निरस्त किया जाकर पत्रावली को पुनः आवंटन सलाहकार समिति में पेश होने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय अति. आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 23–02–1993 को अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को सुनवाई व सबुत पेश करने हेतु लिखा गया था।

पत्रावली पुनः दिनांक 30–01–2003 को आवंटन सलाहकार समिति में पेश हुई। जिसमें प्रार्थी/अपीलांट को 25 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन कराने हेतु सक्षम मानते हुए इसकी पुष्टि की गई। तथा प्रार्थी को जरिये लॉटरी आवंटन हेतु चक 4 एमडीएम के मुरब्बा नम्बर 143/53 के किला नम्बर 15 ता 18, 22 ता 25 कुल 8 बीघा कमाण्ड मुरब्बा नम्बर 143/54 में मुरब्बा नम्बर 2 ता 8 कुल 7 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया।

अपीलांट की पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16–12–2003 को पेश हुई। जिस पर अपीलांट का आवंटन इस आधार पर खारिज किया गया कि अपीलांट द्वारा सबूतो के साथ उपस्थिति नही हुआ है। इसलिए अपीलांट का आवंटन खारिज किया जाता है। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नोटिस की प्रति उपलब्ध है परन्तु उसमें किसी प्रकार की तामील की रिपोर्ट उपलब्ध नही है। प्रार्थी/अपीलांट को उक्त नोटिस की तामील हुई अथवा नही इसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से नही होती है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को वांछित सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए व सबूतों की जॉच करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

8. निर्णय आज दिनांक 10-11-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर